निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1939 (श0)

(सं0 पटना 649) पटना, सोमवार, 24 जुलाई 2017

सं0 वि0(27)पे0को0-11/2017-543

वित्त विभाग

संकल्प

20 जुलाई 2017

विषयः- दिनांकः 01.01.1996 के पूर्व प्रवर कोटि वेतनमानों में सेवानिवृत्त राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भोगियों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण में उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं0 11556 दिनांक 22.12.1999 द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन/परिवार पेंशन दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से पुनरीक्षित किये जाने का प्रावधान विनिश्चित किया गया है। इसके अनुसार पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत की दर से करने का निर्णय पूर्व की भाँति लिया गया। साथ हीं यह भी निर्णय लिया गया कि पेंशन की राशि के निर्धारण में यह ध्यान रखा जायेगा कि सेवानिवृत्ति की तिथि से विभाग के जिस पद से सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हुआ हो, उस पद के लिए वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-660 दिनांक 08.02.1999 में स्वीकृति पुनरीक्षित वेतनमान् के प्रारम्भिक वेतन की राशि के 50 प्रतिशत से पेंशन की राशि कम नहीं हो। 33 वर्षो से कम पेंशनप्रदायी सेवा की स्थिति में इस राशि का निर्धारण आनुपातिक रूप से किया जायेगा।

2. दिनांक 01.01.1996 से पूर्व राज्य सरकार के अधीन कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक दोनों प्रकार की प्रोन्नति विधाएँ स्थापित थी। कार्यात्मक प्रोन्नति के तहत् पदीय प्रोन्नति प्रदान की जाती थी, जबकि अकार्यात्मक प्रोन्नति के तहत् कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि, अधिकाल प्रवर कोटि एवं कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान की जाती थी।

3. दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से उपर्युक्त अकार्यात्मक प्रोन्नति की व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा संकल्प सं0–660 दिनांकः 08.02.1999 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दिनांक 01.01. 1996 के प्रभाव से पूर्व में दी गई प्रोन्नतियों कालबद्ध प्रोन्नति को छोडकर के पदों को आवश्यकता आधारित पदों के रूप में चिन्हित किया जाय। चिन्हित आवश्यकता आधारित पदों पर संवर्ग की वरीयता सूची के अनुसार घटते क्रम में सामंजित करने का प्रावधान किया गया। चिन्हित आवश्यकता आधारित पदों के समाप्ति (Exhaust) हो जाने के बाद उस सेवा/संवर्ग के शेष कर्मियों को मूल कोटि में रखने का प्रावधान किया गया। जिन सेवा/संवर्गो के लिए आवश्यकता आधारित पद चिन्हित नहीं हो, उन्हें उस सेवा संवर्ग के मूल कोटि के पद के वेतनमान् का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया।

4. सभी राज्य सेवाएँ जिनका प्रवेश वेतनमान् रू0 2200–4000/–था उनके लिए प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि एवं अधिकाल प्रवर कोटि पदों का वेतनमान् क्रमशः 3000–4500/–, 3700–5000/– एवं 4100–5300/– दिनांकः 01.01.1996 के पूर्व निर्धारित था। कंडिका–3 में वर्णित निर्णय के क्रम में वित्त विभागीय संकल्प सं0–660 दिनांक 08.02.1999 के द्वारा उक्त सेवाओं के कनीय प्रवर कोटि, वरीय प्रवर कोटि एवं अधिकाल प्रवर कोटि का पुनरीक्षित वेतनमान् 6500–10500/– स्वीकृत किया गया।

5. राज्य सेवाओं में प्रवर कोटि एवं नियमित प्रोन्नति का वेतनमान् क्रमशः 3000–4500/–, 3700–5000/– एवं 4100–5300/– था । अतः नियमित प्रोन्नति के पदों का प्रतिस्थानी वेतनमान् वित्त विभागीय संकल्प सं0–660 दिनांक 08.02.1999 के द्वारा वेतनमान् क्रमशः 10500–15200/–, 12000–16500 एवं 14300–18300 दिनांकः 01.01.1996 से स्वीकृत किया गया।

6. दिनांकः 01.01.1996 के पूर्व कतिपय राज्य सेवा के पदाधिकारियों को, उदाहरणार्थ, बिहार पशुपालन सेवा, बिहार स्वास्थ्य सेवा एवं बिहार कृषि सेवा आदि के कर्मियों को नियमित प्रोन्नति के बदले सिर्फ प्रवर कोटि प्रोन्नति ही दी गई। प्रवर कोटि प्रोन्नति प्राप्त पदाधिकारियों को वरीय पदों पर पदस्थापित किया जाता था। पदस्थापित किये जाने के क्रम में वरीयता को दृढता से दृष्टिपथ में नहीं रखा जाता था। बहुधा प्रवर कोटि प्राप्त कनीय कर्मी को उच्चतर वेतनमान् के नियमित पदों पर पदस्थापित किया जाता था तथा उनसे वरीय पदाधिकारी निम्न पद पर ही कार्यरत रहते थे। ऐसे प्रवर कोटि प्राप्त किन्तु नियमित प्रोन्नति के पद पर पदस्थापित हुए बिना जो पदाधिकारी दिनांक 01.01.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए, उनका

पेंशन कनीय (जो नियमित प्रोन्नति के पद पर पदस्थापित हुए) से कम हो गया। उपर्युक्त स्थिति में समान वेतनमान् होते हुए भी पेंशन में विसंगति उत्पन्न हो गई है। वैसे पदाधिकारी जो दिनांक 01.01.96 के उपरांत सेवा निवृत्त हुए, उन्हें कंडिका-3 में वर्णित रीति से उच्चत्तर वेतनमान के पदों के वेतनमान अनुमान्य होने का अवसर प्राप्त था, परंतु उसके पूर्व सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को वरीयता-सह-आरक्षण रोस्टर के आधार पर उच्चत्तर पदों पर सामंजन की कोई व्यवस्था ही निरूपित नहीं की गई थी ।

7. उपर्युक्त स्थिति में दिनांकः 01.01.1996 के पूर्व प्रवर कोटि प्रोन्नति प्राप्त कर्मी के लिए दिनांकः 01.01.1996 के प्रभाव से नियमित प्रोन्नति के समकक्ष वेतनमान् का पुनरीक्षित वेतनमान् अनुमान्य किये जाने पर उपर्युक्त विसंगति का निराकरण संभव है। महालेखाकार कार्यालय एवं संबंधित प्रवर कोटि प्राप्त राज्य कर्मियों द्वारा इस विसंगति के निराकरण हेतु पत्राचार/अभ्यावेदन दिया जा रहा है।

8. अतः विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 01.01.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त वैसे राज्य कर्मी जिन्हें क्रमशः 3000-4500/-, 3700-5000/- या 4100-5300/- के वेतनमान् में प्रवर कोटि प्रोन्नति प्राप्त थी को दिनांक 01.01.1996 से पेंशन पुनरीक्षण वित्त विभागीय संकल्प सं0-11556 दिनांकः 22.12.1999 में निहित प्रावधानें के आलोक में किया जाय तथा पुनरीक्षण करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि इन वेतनमानों का पुनरीक्षित प्रतिस्थानी वेतनमान् क्रमशः 10500-15200/-, 12000-16500 या 14300-18300 के प्रारम्भिक प्रक्रम के 50 प्रतिशत से कम न हो।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)649-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in